

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, अति० व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद जिला
भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 54ए/2011 इ.दी.

संस्थित दिनांक : 19.07.2011

1-यतीन्द्र उर्फ यतेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्रसिंह आयु 39 वर्ष जाति गुर्जर ठाकुर निवासी ग्राम सीताराम की लावन परगना मेहगांव काश्तकार मौजा हबीपुरा परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— वादी

बनाम

1-श्रीमती नीलम गुर्जर पत्नी योगेन्द्रसिंह जाति गुर्जर ठाकुर आयु 22 साल निवासी ग्राम हबीपुरा परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

2-रघुनाथ प्रसाद पुत्र रामचरन आयु 62 जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम हबीपुरा परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

3-म०प्र०राज्य शासन द्वारा कलेक्टर भिण्ड म.प्र.

— प्रतिवादीगण

(वादी द्वारा-अधिवक्ता श्री शिवनाथ शर्मा)

(प्रतिवादीगण एकपक्षीय)

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध मौजा हबीपुरा तहसील गोहद में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 175 रकवा 2.72 एवं सर्वे क्रमांक 177 रकवा 0.40 कुल रकवा 3.12 में से मिन रकवा 1.07 की स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा तथा विक्रय पत्र दिनांक 16.06.11 को शून्य घोषित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि मौजा हबीपुरा तहसील गोहद में

भूमि सर्वे क्रमांक 175 रकवा 2.72 एवं 177 रकवा 0.40 कुल रकवा 3.12 स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1.07 है तदनुसार वादी के नाम का राजस्व कागजातों में इन्द्राज है। उपरोक्त खाते के सहहिस्सेदार प्रतिवादी क्रमांक 2 रघुनाथ प्रसाद है तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 का हिस्सा उक्त रकवे में 2.05 है तदनुसार प्रतिवादी के नाम का राजस्व कागजात में इन्द्राज है। मौके पर दो खेत हैं। घरू बंटवारे के अनुसार सर्वे क्रमांक 175 के रकवा 1.07 पर उत्तर दिशा की तरफ वादी की खेती हो रही है तथा शेष रकवा 2.05 पर प्रतिवादी क्रमांक 2 की खेती हो रही है। वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 का कोई संबंध नहीं है। दिनांक 30.03.11 को वादी वादग्रस्त भूमि पर खड़ी सरसों की फसल कटवा रहा था तो प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने पति लोकेन्द्रसिंह के साथ आकर वादी को फसल काटने से रोका था एवं कहा था कि उसने वादग्रस्त भूमि का बयनामा प्रतिवादी क्रमांक 2 को कर दिया है तब वादी ने गोहद आकर जानकारी दी थी तो पता चला था कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादग्रस्त भूमि का अवैध विक्रय पत्र प्रतिवादी क्रमांक 2 के हक में कर दिया है एवं बयनामा लिखवाकर सब रजिस्टार कार्यालय में पेश हो चुका है रजिस्ट्री नहीं हुई है तब वादी ने रजिस्ट्री न कराये जाने के लिए आपत्ति पेश की थी परन्तु प्रतिवादी द्वारा फर्जी कागजात तैयार कर दिनांक 16.06.11 को रजिस्ट्री संपादित कर दी गयी थी। प्रतिवादी क्रमांक 2 को विवादित भूमि को विक्रय करने का अधिकार नहीं था। प्रतिवादी ने अवैध विक्रय पत्र संपादित कराया है जो वादी के मुकाबले प्रभावहीन है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने दिनांक 15.04.11 को उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादी को बिना सूचना दिए अवैध रूप से नामांतरण करा लिया है। प्रतिवादी ने विक्रय पत्र संपादित होने के दो माह पूर्व ही नामांतरण करा लिया था जो कि फर्जी है। उक्त नामांतरण आदेश दिनांक 15.04.11 वादी के मुकाबले प्रभावहीन है। ग्राम पंचायत हबीपुरा के ठहराव के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने राजस्व कागजात में प्रतिवादी क्रमांक 2 के स्थान पर नामांतरण भी करा लिया है। परन्तु पटवारी मौजा ने संपूर्ण विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 2 के हिस्से की भूमि पर ही अमल किया है। प्रतिवादी पटवारी मौजा पर दबाव बनाकर फर्जी ठहराव के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अमल कराना चाहते हैं तथा वादी को शीघ्र ही वादग्रस्त भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादी को वादग्रस्त भूमि का स्वत्व व आधिपत्यधारी घोषित किया जावे तथा विक्रय पत्र दिनांक 16.06.11 को शून्य घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी रूप से निषेधित किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि पर अवैध विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण न करावें एवं वादी के कब्जे में कोई बाधा उत्पन्न न करें।

3. प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा उक्त आवेदन का खण्डन करते हुए उत्तर आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादी द्वारा असत्य आधारों पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 2 को वादग्रस्त भूमि अपने पिता से प्राप्त हुई थी एवं वह वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। दिनांक 04.03.11 को उक्त भूमि के संपूर्ण रकवा को प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा पूर्ण प्रतिफल लेकर प्रतिवादी क्रमांक 2 को प्रदान कर क्रय किया गया था। वादी का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। वादी ने दिनांक 03.07.11 को प्रतिवादी क्रमांक 1 के कब्जा बर्ताव में बाधा पैदा कर कब्जा छोड़ने की धमकी दी थी एवं झगडालू लोगों को भूमि विक्रय करने की धमकी दी थी तब प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने स्वत्व व

आधिपत्य की रक्षा हेतु न्यायालय में सिविल वाद क्रमांक 57/11 पेश किया था जोकि संचालित है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने विधिवत भूमि क्रय की थी तथा स्टाम्प ड्यूटी पूर्ण न होने से विक्रय पत्र का निष्पादन दिनांक 16.06.11 को किया गया था। वादी ने गलत बोगस आधार पर बोगस इन्द्राज के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की थी जो उपपंजीयक कार्यालय द्वारा निरस्त कर दी गयी थी। प्रतिवादी क्रमांक 2 को भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 ने पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर प्रतिवादी क्रमांक 1 को वादग्रस्त भूमि विक्रय की थी। कथित विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 को राजस्व कागजात में विक्रेता के स्थान पर अपना नामांतरण कराने के लिए स्वतंत्र है। कथित विक्रय पत्र वादी पर प्रभावी है। वादी ने तत्कालीन मौजा पटवारी से मिलकर अनुचित तरीके से अपने नाम का इन्द्राज कराया है। वादी उक्त इन्द्राज के आधार पर स्वत्व प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विक्रय पत्र दिनांक 04.03.11 के संपादन के पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 1 भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। वादी का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। वादी लाठी के बल पर प्रतिवादी क्रमांक 1 के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि को हड़पना चाहता है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

4. विचारण के दौरान प्रतिवादीगण के उपस्थित न होने से उनके विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।
5. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से मेरे समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए।
 1. क्या वादी मौजा हबीपुरा तहसील गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 175 रकवा 2.72 एवं 177 रकवा 0.40 कुल रकवा 3.12 में से मिन रकवा 1.07 का एक मात्र स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है ?
 2. क्या विक्रय पत्र दिनांक 16.06.11 वादी के स्वत्व के मुकाबले शून्य घोषित किए जाने योग्य है ?
 3. क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है ?
 4. क्या वादी स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है ?
 5. सहायता एवं व्यय ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 //

6. विचारणीय प्रश्न के संबंध में वादी यतेन्द्र कुमार वा0सा01 द्वारा अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया गया है कि वादी मौजा हबीपुरा तहसील गोहद में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 175 रकवा 2.72 एवं 177 रकवा 0.40 कुल रकवा 3.12 में से मिन रकवा 1.07 का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। तदनुसार राजस्व कागजात एवं खसरा खतौनी में वादी का इन्द्राज है। उक्त भूमि वादी ने पूर्व भूमिस्वामी प्रतिवादी क्रमांक 2 रघुनाथ प्रसाद से विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की थी तभी से मौके पर उसकी खेती हो रही है। घरू बंटवारे के अनुसार सर्वे क्रमांक 175 रकवा 2.72 में से रकवा 1.07 पर उत्तर दिशा की ओर वादी की खेती हो रही

है तथा शेष रकवा 2.05 पर प्रतिवादी क्रमांक 2 की खेती हो रही है। प्रतिवादी का वादी के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि से कोई सरोकार नहीं है। दिनांक 20.03.11 को प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी की सरसों की फसल काटने से इंकार किया था एवं कहा था कि उसने प्रतिवादी क्रमांक 2 से विवादित भूमि का बयनामा करा लिया है। वादी ने दिनांक 22.03.11 को सब रजिस्टार कार्यालय में आकर जानकारी दी थी तब उसे पता चला था कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिवादी क्रमांक 2 से वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र करा लिया है परन्तु रजिस्ट्री संपादित नहीं हुई थी। प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी ने गलत तरीके से विक्रय पत्र संपादित करा लिया है। वादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 04.03.11 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०पी-3 उपपंजीयक कार्यालय गोहद के समक्ष विक्रय पत्र संपादित न किए जाने के संबंध में पेश की गयी आपत्ति की प्रति प्र०पी-4, विक्रय पत्र दिनांक 13.08.02 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०पी-6 तथा आपत्ति आवेदन प्र०पी-7, भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्र०पी-8 एवं संवत् 2060 लगायत 2064 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०पी-9 प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है।

7. वादी साक्षी भूपेन्द्रसिंह वा०सा०2 द्वारा भी वादी के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है।
8. प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर वादी यतेन्द्र कुमार वा०सा०1 एवं भूपेन्द्रसिंह वा०सा०2 के कथनों का कोई खण्डन नहीं किया गया है एवं कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।
9. तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व व आधिपत्य है। प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिवचनों का कोई खण्डन नहीं किया गया है। अतः वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित है।
10. प्रस्तुत प्रकरण में वादी यतेन्द्र कुमार वा०सा०1 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 175 रकवा 2.72 एवं 177 रकवा 0.40 कुल रकवा 3.12 के मिन रकवा 1.07 का वादी स्वत्व व आधिपत्यधारी है। वादी द्वारा अपने शपथपत्रीय मुख्यपरीक्षण में यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उसने प्रतिवादी क्रमांक 2 रघुनाथ प्रसाद से प्र०पी-6 के विक्रय पत्र द्वारा क़य की थी तभी से वादग्रस्त भूमि पर उसकी खेती हो रही है परन्तु यह बात कि वादी ने वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 2 से प्र०पी-6 के विक्रय पत्र द्वारा क़य की थी वादी द्वारा अपने वादपत्र में नहीं बतायी गयी है। वादी द्वारा उक्त संबंध में अपने वादपत्र में कोई अभिवचन नहीं किया गया है एवं वादी द्वारा उक्त संबंध में अभिवचन से प्रथक साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है।
11. वादी यतेन्द्र कुमार वा०सा०1 ने अपने शपथपत्रीय मुख्यपरीक्षण में यह अभिवचनित किया है कि उसने वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 175 रकवा 2.72 एवं 177 रकवा 0.40 कुल रकवा 3.12 में से मिन रकवा 1.07 प्रतिवादी क्रमांक 2 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्र०पी-6 द्वारा क़य किया था। परन्तु वादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसने प्रथक-प्रथक रूप से सर्वे क्रमांक 175 एवं सर्वे क्रमांक 177 में से कितना-कितना रकवा क़य किया था। वादी द्वारा जो प्र०पी-6

का विक्रय पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है उसमें भी यह उल्लेख नहीं है कि वादी द्वारा सर्वे क्रमांक 175 एवं सर्वे क्रमांक 177 में से प्रथक-प्रथक रूप से कितना रकवा क़य किया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी ने सर्वे क्रमांक 175 एवं सर्वे क्रमांक 177 में से रकवा 1.07 है० भूमि क़य करना बताया है। परन्तु वादी द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि घरू बंटवारे के अनुसार सर्वे क्रमांक 175 के रकवा 2.72 में से रकवा 1.07 पर उत्तर दिशा की तरफ वादी की खेती हो रही है। वादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जब उसके द्वारा सर्वे क्रमांक 175 एवं सर्वे क्रमांक 177 में से कुल रकवा 1.07 क़य किया गया था तब मात्र सर्वे क्रमांक 175 के रकवा 1.07 पर उसकी खेती किस प्रकार हो रही है वादी द्वारा बंटवारे के तथ्य को भी प्रमाणित नहीं किया गया है। वादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जब उसके द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 से दो सर्वे क्रमांक की भूमि क़य की गयी थी तो सर्वे क्रमांक 175 के संबंध में उसके व प्रतिवादी के मध्य बंटवारा किस प्रकार एवं कब हुआ। वादी द्वारा उक्त बंटवारे के संबंध में कोई साक्ष्य, कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा प्रकरण में संवत् 2061 लगायत 2064 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०पी-9 एवं भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्र०पी-8 प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है। प्र०पी-9 के खसरे में कॉलम नं०-3 में सर्वे क्रमांक 175 रकवा 2.72 में से वादी यतेन्द्र कुमार 1.07 है० का एवं रघुनाथ प्रसाद 2.05 है० का भूमि स्वामी होना लेख है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वे क्रमांक 175 का कुल रकवा 2.72 है० है एवं $2.72 - 2.05 = 0.67$ है० शेष रहता है। ऐसी स्थिति में यदि प्र०पी-9 के खसरे के अनुसार प्रतिवादी सर्वे क्रमांक 175 के रकवा 2.05 है० का स्वत्व आधिपत्यधारी है तो वादी 1.07 का स्वत्व आधिपत्यधारी किस प्रकार हो सकता है। वादी द्वारा उक्त तथ्य को भी अपने अभिवचनों में स्पष्ट नहीं किया गया है। वादी द्वारा अस्पष्ट अभिवचन किए गए हैं एवं अस्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है।

12. वादी ने वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 175 रकवा 1.07 उत्तर दिशा की तरफ अपना आधिपत्य होना बताया है परन्तु उक्त संबंध में कोई मानचित्र अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा अपने आधिपत्य के संबंध में जो प्र०पी-9 का खसरा प्रस्तुत किया गया है उसमें भी सर्वे क्रमांक 175 के रकवा 1.07 पर वादी का आधिपत्य होना दर्शित नहीं है। वादी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे सर्वे क्रमांक 175 एवं 177 के विशिष्ट भाग पर वादी का स्पष्ट आधिपत्य दर्शित होता हो। वादी द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 सर्वे क्रमांक 175 एवं सर्वे क्रमांक 177 का सहआधिपत्यधारी है एवं वादी द्वारा सर्वे क्रमांक 175 एवं 177 पर अपना विशिष्ट आधिपत्य दर्शित नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर वादी का विशिष्ट आधिपत्य होना भी प्रमाणित नहीं है।

13. वादी अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह अभिवचनित किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिवचनों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व व आधिपत्य प्रमाणित है परन्तु वादी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। वादी को अपना वाद स्वयं प्रमाणित करना होता है वह प्रतिवादी की कमियों का लाभ नहीं ले सकता है। प्रस्तुत

प्रकरण में वादी ने वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 175 एवं 177 रकवा 1.07 भूमि प्रतिवादी क्रमांक 2 रघुनाथ प्रसाद से कय करना बताया है परन्तु वादी द्वारा उक्त संबंध में अपने वादपत्र में कोई अभिवचन नहीं किया गया है। वादी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसने सर्वे क्रमांक 175 एवं 177 में से कितनी भूमि कय की थी। वादी द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 से हुए घरू बंटवारे के आधार पर सर्वे क्रमांक 175 रकवा 1.07 है0 पर उसकी खेती हो रही है परन्तु वादी द्वारा बंटवारे के तथ्य को भी प्रमाणित नहीं किया गया है। वादी द्वारा जो प्र0पी-9 के खसरे पेश किए गए हैं वह भी वादी के अभिवचनों से, प्र0पी-6 के विक्रय पत्र से मेल नहीं खाता है। वादी द्वारा वादपत्र में अस्पष्ट अभिवचन किया गया है एवं अस्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि वादी वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है।

14. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वादी मौजा हबीपुरा तहसील गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 175 रकवा 2.72 एवं 177 रकवा 0.40 है0 में से मिन रकवा 1.07 का स्वत्व व आधिपत्यधारी है। फलतः उक्त विचारणीय प्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-02 //

15. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि प्रतिवादी को विक्रय पत्र दिनांक 16.06.11 संपादित करने का अधिकार नहीं था। विक्रय पत्र दिनांक 16.06.11 प्र0पी-3 शून्य घोषित किया जावे।
16. यहां यह उल्लेखनीय है कि विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 की विवेचना अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वत्व व विशिष्ट आधिपत्य प्रमाणित करने में असफल रहा है। चूंकि वादी वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वत्व व आधिपत्य प्रमाणित करने में असफल रहा है ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता है कि विक्रय पत्र दिनांक 16.06.11 प्र0पी-3 शून्य घोषित किये जाने योग्य है। फलतः उक्त विचारणीय प्रश्न भी वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-03 एवं 04 //

17. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वादग्रस्त भूमि पर उसका स्वत्व व आधिपत्य है। चूंकि वादी वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वत्व व आधिपत्य प्रमाणित करने में असफल रहा है ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है। अतः वादी स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है। फलतः उक्त विचारणीय प्रश्न भी वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

// सहायता एवं व्यय //

18. समग्र अवलोकन से वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।
19. प्रकरण का संपूर्ण वाद व्यय वादी द्वारा वहन किया जावेगा।

20. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो देय होगा।
21. तदानुसार जयपत्र निर्मित किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 11.07.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)